



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02052026-272206
CG-DL-E-02052026-272206

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2099]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 2, 2026/वैशाख 12, 1948

No. 2099]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 2, 2026/VAISAKHA 12, 1948

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2026

का.आ. 2186(अ).— विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 46 की उप-धारा (2) के खंड (कक) और (कख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: —

1. संक्षिप्त, नाम और प्रारंभ. -(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत)(द्वितीय संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 में, अनुसूची 1 में, सारणी में, क्रम सं. च.8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:

क्र. सं.	क्षेत्र/गतिविधि	क्षेत्रीय सीमा (3)	प्रवेश मार्ग (4)
“च.8	बीमा		
च.8.1	बीमा कंपनी	100%	स्वचालित
च.8.2	भारतीय जीवन बीमा निगम	20%	स्वचालित
च.8.3	बीमा मध्यस्थों सहित, पुनर्बीमा दलालों, बीमा सलाहकारों, कॉर्पोरेट अभिकर्ताओं, तीसरे पक्ष के प्रशासक, सर्वेक्षक और हानि असेसरों, सामान्य अभिकर्ताओं, बीमा निधान और ऐसी अन्य संस्थाओं के प्रबंधन सहित बीमा मध्यस्थ, जिन्हें भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए।	100%	स्वचालित
च.8.3.1	भारतीय बीमा कंपनियों और बीमा मध्यस्थों पर लागू होने वाली अन्य शर्तें		
	(क) विदेशी निवेशकों जिनमें पोर्टफोलियो निवेशक शामिल हैं द्वारा किसी भारतीय बीमा कंपनी के इक्विटी शेयरों में कुल विदेशी निवेश का समग्र स्वामित्व ऐसी भारतीय बीमा कंपनी की चुकता इक्विटी पूंजी के अधिकतम एक सौ प्रतिशत तक अनुमत होगा। (ख) भारतीय बीमा कंपनी की कुल चुकता इक्विटी के एक सौ प्रतिशत तक का विदेशी निवेश स्वचालित मार्ग पर तभी अनुमत होगा जब यह भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन और सत्यापन के अधीन हों। (ग) इस क्षेत्र में विदेशी निवेश, बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के उपबंधों के अनुपालन करने और यह शर्त पूरी करने के अधीन होगा कि एफडीआई प्राप्त करने वाली कंपनियां बीमा और संबंधित गतिविधियाँ करने के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से आवश्यक लाइसेंस या अनुमोदन प्राप्त करेंगी। (घ) (I) ऐसी भारतीय बीमा कंपनी जिसमें विदेशी निवेश हों, उसके बोर्ड के अध्यक्ष, उसके प्रबंध निदेशक और उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी में से कम से कम एक निवासी भारतीय नागरिक होगा। (II) जिस भारतीय बीमा कंपनी में विदेशी निवेश हों, वह भारतीय बीमा कंपनियों (विदेशी निवेश) नियम, 2015 के उपबंधों और वित्तीय सेवा विभाग/भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अधिसूचित लागू नियमों या विनियमों का अनुपालन करेगी। (ङ) एक भारतीय बीमा कंपनी में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 की अनुसूची II के साथ पठित अध्याय- IV, नियम 10 और 11 में निहित उपबंधों और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 के उपबंधों द्वारा शासित होगा। (च) किसी भारतीय बीमा कंपनी में विदेशी निवेश में कोई भी वृद्धि इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों के अनुसार होगी। (छ) शत-प्रतिशत की विदेशी इक्विटी निवेश सीमा बीमा दलालों, पुनर्बीमा दलालों, बीमा सलाहकारों, कॉर्पोरेट अभिकर्ताओं, तीसरे पक्ष के प्रशासकों, सर्वेक्षकों और हानि असेसरों, प्रबंध सामान्य		

	अभिकर्ताओं, बीमा निधान और ऐसी अन्य संस्थाओं पर उपर्युक्त समान शर्तों पर लागू होगी, जैसा कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए। (ज) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्तावों को प्राधिकरण द्वारा सत्यापन के अध्यक्षीन स्वचालित मार्ग के अधीन अनुमति दी जाएगी और बीमा मध्यस्थों में विदेशी निवेश उन्हीं शर्तों द्वारा शासित होगा जैसा कि भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी निवेश) नियम, 2015 के नियम 7 और 8 के अंतर्गत उपबंधित किया गया है,: बशर्ते कि जहां कोई संस्था जैसा कोई बैंक, जिसका प्राथमिक व्यवसाय बीमा क्षेत्र से बाहर है, को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा बीमा मध्यस्थ के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाती है, उस क्षेत्र में लागू विदेशी इक्विटी निवेश की सीमाएं इस शर्त के अधीन लागू होती रहेंगी कि ऐसे निकायों का राजस्व उनके प्राथमिक (यानि, गैर-बीमा संबंधित) व्यवसाय को किसी भी वित्तीय वर्ष में अपने कुल राजस्व के पचास प्रतिशत से अधिक बना रहे।
	(झ) जिस बीमा मध्यस्थ के पास विदेशी निवेशकों की बहुमत शेयरधारिता हो, वह निम्नलिखित कार्य करेगा : (i) कंपनी अधिनियम, 2013(2013 का 18) के उपबंधों के अधीन एक सीमित कंपनी के रूप में निगमित हो; (ii) बीमा मध्यस्थ संस्थान के निदेशक मंडल के अध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रधान अधिकारी या प्रबंध निदेशक में से कम से कम एक व्यक्ति निवासी भारतीय नागरिक होना चाहिए; (iii) नवीनतम तकनीकी, प्रबंधकीय और अन्य कौशल लाएगा; और (iv) समूह या संप्रवर्तक या सहायक, परस्पर संबद्ध या सहयोगी संस्थाओं को किए गए सभी भुगतानों का प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूपों में प्रकटीकरण करेगा। (ज) क्र.सं. च.2.1 के सामने विहित 'बैंकिंग-निजी क्षेत्र' शीर्षक के अंतर्गत अन्य शर्तें बैंक द्वारा प्रायोजित बीमा कंपनियों के संबंध में लागू होंगी। (ट) 'इक्विटी शेयर पूंजी', 'प्रत्यक्ष विदेशी निवेश' (एफडीआई), 'विदेशी निवेशक', 'विदेशी पोर्टफोलियो निवेश', 'भारतीय बीमा कंपनी', 'भारतीय कंपनी', 'अप्रवासी इकाई', 'निवासी भारतीय नागरिक' और 'कुल विदेशी निवेश' शब्दों का वही अर्थ होगा जो बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के अधीन वित्तीय सेवा विभाग द्वारा अधिसूचित प्रासंगिक नियमों में या भारतीय बीमा कंपनियों और बीमा मध्यस्थों में विदेशी निवेश के संबंध में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों के अनुसार होंगे।
च .8.3.2	भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) पर लागू होने वाली अन्य शर्तें: (क) एलआईसी में विदेशी निवेश, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) और बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के उन उपबंधों के अनुपालन के अध्यक्षीन होगा, जो जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) के खंड 43 के अनुसार एलआईसी पर लागू होते हैं। (ख) क्र.सं. च .8.3.1 के अंतर्गत खंड (ड) और (च) के उपबंध एलआईसी पर भी तब लागू होंगे, मानो उनमें किसी भारतीय बीमा कंपनी के संदर्भ को एलआईसी का संदर्भ समझा जाए।

	(ग) क्र.सं. च.8.3.1 के अंतर्गत खंड (ट) में निर्दिष्ट पदों के वही अर्थ होंगे जो उनमें क्रमशः निर्दिष्ट है। स्पष्टीकरण:- इस क्रम संख्या के प्रयोजनों के लिए, भारतीय बीमा कंपनी या क्र.सं. च.8.3.1 के अंतर्गत खंड (ट) में निर्दिष्ट कंपनी के किसी भी संदर्भ को एलआईसी का संदर्भ समझा जाएगा।
--	---

[फा. सं. 1/5/ईएम/2019]

आलोक तिवारी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. संख्या 3732 (अ), तारीख 17 अक्टूबर, 2019 के अधीन प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं के अधीन संशोधित किए गए थे:

- (i) का.आ. 4355 (अ), तारीख 5 दिसंबर 2019;
- (ii) का.आ. 1278 (अ), तारीख 22 अप्रैल 2020;
- (iii) का.आ. 1374 (अ), तारीख 27 अप्रैल 2020;
- (iv) का.आ. 2442 (अ), तारीख 27 जुलाई 2020;
- (v) का.आ. 4441 (अ), तारीख 8 दिसंबर 2020;
- (vi) का.आ. 3206 (अ), तारीख 9 अगस्त 2021;
- (vii) का.आ. 3411 (अ), तारीख 19 अगस्त 2021;
- (viii) का.आ. 4091 (अ), तारीख 5 अक्टूबर 2021;
- (ix) का.आ. 4242 (अ), तारीख 12 अक्टूबर 2021;
- (x) का.आ. 1802 (अ), तारीख 12 अप्रैल 2022;
- (xi) का.आ. 332 (अ), तारीख 24 जनवरी 2024;
- (xii) का.आ. 1361 (अ), तारीख 14 मार्च 2024;
- (xiii) का.आ. 1722 (अ), तारीख 16 अप्रैल 2024;
- (xiv) का.आ. 3492 (अ), तारीख 16 अगस्त 2024;
- (xv) का.आ. 2549 (अ), तारीख 11 जून 2025; और
- (xvi) का.आ. 2174 (अ), तारीख 1 मई 2026 और तारीख 2 मई 2026 पर प्रकाशित किया गया।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2026

S.O. 2186(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (aa) and (ab) of sub-section (2) of section 46 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019, namely: —

1. Short, title and commencement.—(1) These rules may be called the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) (Second Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019, in Schedule I, in the Table, for serial number F.8 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely: -

SL. No. (1)	Sector/ Activity (2)	Sectoral Cap (3)	Entry Route (4)
“F.8	Insurance		
F.8.1	Insurance Company	100%	Automatic
F.8.2	Life Insurance Corporation of India	20%	Automatic
F.8.3	Insurance Intermediaries including insurance brokers, re-insurance brokers, insurance consultants, corporate agents, third party administrator, Surveyors and Loss Assessors, managing general agents, insurance repositories and such other entities, as may be notified by the Insurance Regulatory and Development Authority of India from time to time.	100%	Automatic
F.8.3.1	Other conditions applicable to Indian insurance companies and insurance intermediaries		
	(a) The aggregate holdings by way of total foreign investment in the equity shares of an Indian Insurance Company by foreign investors, including portfolio investors, is permitted up to one hundred per cent. of the paid- up equity capital of such Indian Insurance company. (b) The foreign investment up to one hundred per cent. of the total paid-up equity of the Indian Insurance Company shall be allowed on the Automatic Route subject to approval and verification by the Insurance Regulatory and Development Authority of India. (c) Foreign investment in this sector shall be subject to compliance with the provisions of the Insurance Act, 1938(4 of 1938), and the condition that Companies receiving FDI shall obtain necessary licence or approval from the Insurance Regulatory and Development Authority of India for undertaking insurance and related activities. (d) (I) In an Indian Insurance Company having foreign investment, at least one among the Chairperson of its Board, its Managing Director and its Chief Executive Officer, shall be Resident Indian Citizens. (II) An Indian Insurance company having foreign investment shall comply with the provisions under the Indian Insurance Companies (Foreign investment) Rules, 2015 and the applicable rules		

	or regulations notified by the Department of Financial Services or Insurance Regulatory and Development Authority of India, from time to time. (e) Foreign portfolio investment in an Indian Insurance company shall be governed by the provisions contained in Chapter-IV, rule 10 and 11 read with Schedule II of Foreign Exchange Management (Non-Debt Instruments) Rules, 2019, and provisions of the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019. (f) Any increase in foreign investment in an Indian Insurance company shall be in accordance with the pricing guidelines specified under these rules. (g) The foreign equity investment cap of hundred per cent. shall apply on the same terms as above to insurance brokers, re-insurance brokers, insurance consultants, corporate agents, third party administrator, Surveyors and Loss Assessors, managing general agents, insurance repositories and such other entities, as may be notified by the Insurance Regulatory and Development Authority of India from time to time. (h) The Foreign Direct Investment proposals shall be allowed under the Automatic Route subject to verification by the Authority and the foreign investment in insurance intermediaries shall be governed by the same terms as provided under rules 7 and 8 of the Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015 : Provided that where an entity like a bank, whose primary business is outside the insurance area, is allowed by the Insurance Regulatory and Development Authority of India to function as an insurance intermediary, the foreign equity investment caps applicable in that sector shall continue to apply, subject to the condition that the revenues of such entities from their primary (i.e., non-insurance related) business must remain above fifty per cent. of their total revenues in any financial year. (i) The insurance intermediary that has majority shareholding of foreign investors shall undertake the following: - be incorporated as a limited company under the provisions of the Companies Act, 2013(18 of 2013); - at least one from among the Chairman of the Board of Directors or the Chief Executive Officer or Principal Officer or Managing Director of the insurance intermediary shall be a resident Indian citizen; - shall bring in the latest technological, managerial and other skills; and - shall make disclosures in the formats to be specified by the Authority of all payments made to its group or promoter or subsidiary or interconnected or associate entities; (j) The other conditions under the heading 'Banking-Private Sector' prescribed against Sl. No. F.2.1 shall be applicable in respect of bank promoted insurance companies. (k) The expressions 'Equity Share Capital', 'Foreign Direct Investment' (FDI), 'Foreign Investors', 'Foreign Portfolio Investment', 'Indian Insurance Company', 'Indian Company', 'Non-resident Entity', 'Resident Indian Citizen', 'Total Foreign investment' shall have the same meaning as provided in the relevant rules notified by the Department of Financial Services under the Insurance Act, 1938(4 of 1938) or in the regulations issued by Insurance Regulatory and
--	---

	Development Authority of India from time to time, in respect of foreign investment in Indian Insurance Companies and Insurance intermediaries.
F.8.3.2	Other conditions applicable to the Life Insurance Corporation of India (LIC): (a) Foreign investment in LIC shall be subject to compliance with the provisions of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), and such other provisions of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), as are applicable to LIC as per the provisions of section 43 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956). (b) Provisions of clauses (e) and (f) under Sl. No. F.8.3.1, shall also apply to LIC as if reference therein to an Indian Insurance Company is a reference to LIC. (c) The expressions referred to in clause (k) under Sl. No. F.8.3.1, shall have the meanings as respectively referred to them therein. Explanation. - For the purposes of this Sl. No., any reference to Indian insurance company or company referred to in clause (k) under Sl. No. F.8.3.1, shall be construed as a reference to LIC”.

[F. No. 1/5/EM/2019]

ALOK TIWARI, Jt. Secy.

Note: The Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O.3732 (E), dated the 17th October, 2019 and subsequently amended vide the following notification numbers:

- (i) S.O. 4355 (E), dated the 5th December 2019;
- (ii) S.O. 1278 (E), dated the 22nd April, 2020;
- (iii) S.O. 1374 (E), dated the 27th April, 2020;
- (iv) S.O. 2442 (E), dated the 27th July, 2020;
- (v) S.O. 4441 (E), dated the 8th December, 2020;
- (vi) S.O. 3206 (E), dated the 9th August, 2021;
- (vii) S.O. 3411 (E), dated the 19th August, 2021;
- (viii) S.O. 4091 (E), dated the 5th October 2021;
- (ix) S.O. 4242 (E), dated the 12th October 2021;
- (x) S.O. 1802 (E), dated 12th April 2022;
- (xi) S.O. 332 (E), dated 24th January 2024;
- (xii) S.O. 1361 (E), dated 14th March 2024;
- (xiii) S.O. 1722 (E), dated 16th April 2024;
- (xiv) S.O. 3492 (E), dated 16th August 2024;
- (xv) S.O. 2549 (E), dated 11th June 2025; and
- (xvi) S.O. 2174(E), dated 1st May 2026 and published on 2nd May 2026.